भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक के
विद्यार्थियों के लिए

जुलाई 2025

आषाढ़ 1947

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

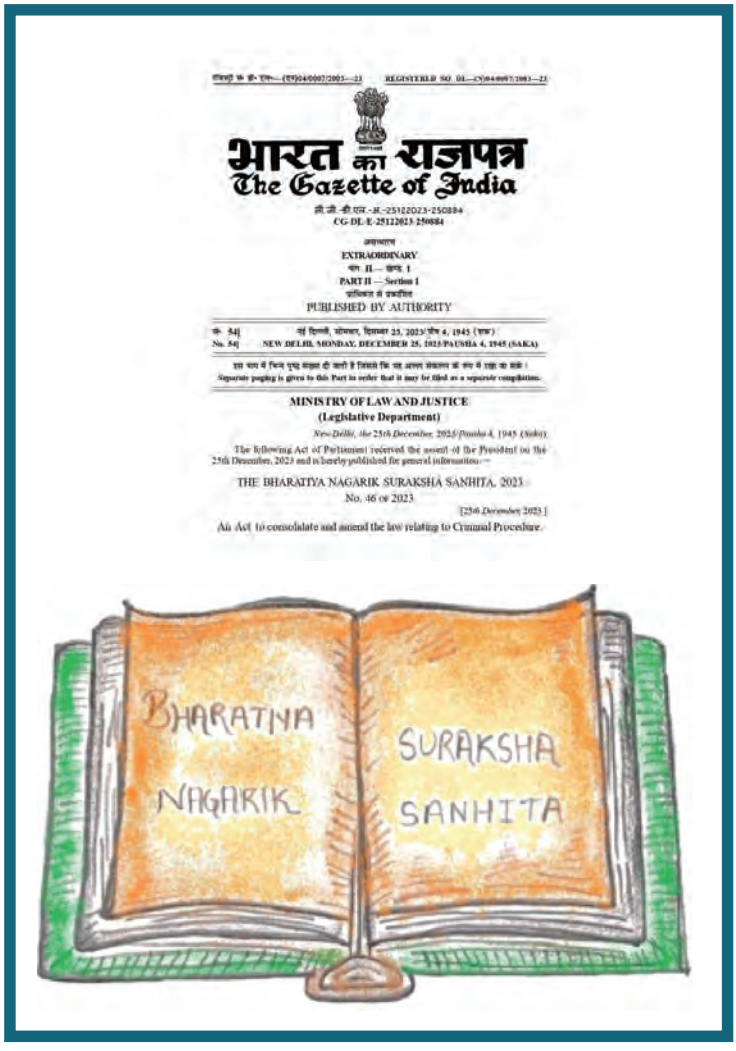

माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक के
विद्यार्थियों के लिए

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

सीखने के प्रतिफल

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, आप निम्न कार्य कर सकेंगे—

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझना।
- यह पता लगाना कि यह संहिता देश के नागरिकों को कैसे सशक्त बनाती है।
- उन प्रक्रियाओं की जाँच करना, जो सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती हैं।
- बी.एन.एस.एस. से संबंधित अधिक सामग्री तक पहुँचना और उसे एकत्रित करना।
- नए आपराधिक कानूनों पर सामग्री तैयार करने के रचनात्मक तरीके विकसित करना।
- अपने साथियों के साथ चर्चा करना कि यह किस तरह से पीड़ित-केंद्रित है।

परिचय

आपने अपनी पिछली कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आप जिन महत्वपूर्ण विषयों से परिचित हैं, उनमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। हमें दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण किए बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कानूनों की आवश्यकता है। कानून नियमों का समूह है, जो सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक आचरण को विनियमित करने के लिए बनाए और लागू किए जाते हैं। यह एक समुदाय के रीति-रिवाजों, प्रथाओं और आचरण के नियमों से संबंधित है, जो सभी पर बाध्यकारी हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अपराध के पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिले। कानून मानवाधिकारों, निष्पक्ष सुनवाई और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। वे संविधान की प्रस्तावना के लक्ष्यों और उद्देश्यों, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को, न्याय के संबंध में व्यवहार में प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आपने हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आइए, हम इसका पुनः स्मरण करें।

कानून हमें सभी प्रकार के भेदभाव, अन्याय, असमानता, हिंसा से संरक्षण प्रदान करते हैं और देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यह नया आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 अपराधों की जाँच, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अदालती सुनवाई और गलत काम करने वालों को दंडित करने के लिए प्रभावी तरीके प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह घर, पड़ोस, विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन के सभी स्थानों और साइबरस्पेस जैसे विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाले अपराधों की आगे की घटना को रोकने के लिए किया जाता है। आपने उनके बारे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ा होगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया होगा। एक विद्यार्थी के रूप में आपने कुछ अपराधों का अनुभव किया होगा या देखा होगा, जैसे कि धमकाना, कीमती सामान छीनना, विभिन्न कारणों से झगड़े, जो कभी-कभी हिंसक झगड़े का कारण बनते हैं आदि। अन्य में धक्का-मुक्की, चोरी, अपमानजनक भाषा का उपयोग और कई अन्य सम्मिलित हो सकते हैं।

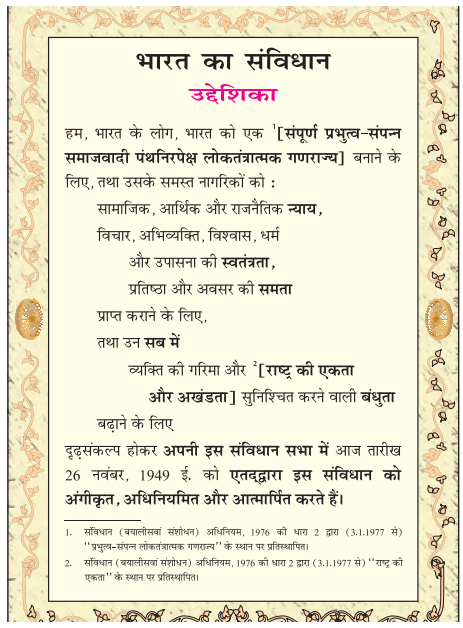

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अपने अनुभव से सोचें और विचार करें कि इनसे कैसे निपटा जाता है। आइए, अपने आस-पास स्थित विद्यालयों से शुरुआत करें। कुछ सुझावात्मक पुनर्कथन, जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, नीचे दिए गए हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर इस सूची में और जोड़ सकते हैं।

- विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ इस मामले को उठाते हैं।
- शिक्षक, कक्षा मॉनीटर की सहायता से दुर्व्यवहार और हिंसा पर नियंत्रण रखते हैं।
- माता-पिता और शिक्षक के बीच बैठक और इसी तरह के अन्य आयोजनों में अनुशासनहीनता के मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- हिंसा की प्रकृति के आधार पर सजा दी जाती है।
- प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अच्छे विचारों और संदेशों पर चर्चा; जैसे— निवारक उपाय विद्यालय की सभा (स्कूल असेंबली) का हिस्सा हैं।
- बच्चों को अलग-अलग गतिविधियों के लिए टीमों में काम करने के लिए कहा जाता है, ताकि वे एक-दूसरे को जान सकें और एक-दूसरे के योगदान को महत्व दे सकें।

यह नया आपराधिक कानून इसी दिशा में एक कदम है। आपने समाचार-पत्रों या सोशल मीडिया साइट्स पर पढ़ा होगा कि इन कानूनों का अधिनियमन एक आवश्यक पहल है, जो सभी प्रकार की हिंसा पर ध्यान देने और देश के सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और तीव्र गति से जाँच और परीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को परिवर्तित करना है। बी.एन.एस.एस. न्याय और पुनर्वास या सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए यह औपनिवेशिक कानूनों से भिन्न है, जो व्यापक रूप से जुर्माने या दंड पर जोर देते थे। नए आपराधिक कानून को जो बात महत्वपूर्ण बनाती है, वह यह है कि इसने समकालीन समाज की चुनौतियों को ध्यान में रखा है, जैसे कि अपराध के नए रूपों का उदय, जो आपने साइबर अपराध, आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या और संगठित अपराध जैसे मामलों में देखा होगा।

हम इस कानून का विवरण आप अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि उन्हें जागरूक, आश्वस्त, सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। बी.एन.एस.एस. का उद्देश्य नागरिकों के मूल अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करना है।

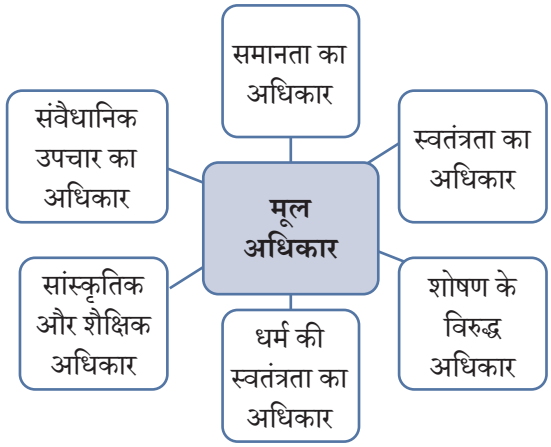

क्या आप जानते हैं कि बी.एन.एस.एस. का एक इतिहास है? अगर आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपको यह जानने में रुचि होगी। आइए, कुछ तथ्य जानते हैं।

भारत में कानूनी व्यवस्था की बहुलता की समस्या को दूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) को पहली बार 1861 में पारित किया गया था। 1973 में, इस अधिनियम को मौजूदा सी-आर.पी.सी.द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अग्रिम जमानत जैसे परिवर्तन प्रस्तुत किए गए। 2005 में इसमें संशोधन किया गया, ताकि याचिका सौदेबाजी (प्ली बारगैनिंग) और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों जैसे प्रावधानों को जोड़ा जा सके। निर्भया मामले से प्रेरित 2013 के संशोधन ने यौन हिंसा के विरुद्ध सख्त कानून प्रस्तुत किए, परीक्षण प्रक्रियाओं में तेजी लाई और पीड़ितों के संरक्षण के उपायों को बढ़ाया। 2018 के संशोधन ने यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाकर एवं बच्चों की संरक्षण के लिए अधिक व्यापक उपायों को सम्मिलित करके इन प्रावधानों को और मजबूत किया, जिसमें ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी सम्मिलित है।

क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों पारित किया गया था?

न्याय की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए इस संहिता को प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य पुलिस जाँच और अदालती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और कई अन्य जैसे कुछ अपराधों पर ध्यान देना है, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। बी.एन.एस.एस. समय पर न्याय सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का परवर्ती बी.एन.एस.एस., 2023 का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों, कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग, जाँच में देरी आदि जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट कर त्वरित न्याय प्रदान करना है। बी.एन.एस.एस. के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने पर आप पाएँगे कि इसने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा बढ़ा दी है। पहली बार अपराधों के संबंध में परिवर्तन लाने के लिए एक अग्रणी पद्धति लागू की गई है। अपराधों के लिए दंड देने के स्थान पर, कुछ मामलों में, व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सुधारात्मक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए 'सामुदायिक सेवा' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समय पर न्याय की प्रदायगी

नए कानून में मानहानि की फर्जी शिकायत दर्ज करने, आत्महत्या का प्रयास करने, न्यायालय के सम्मन पर उपस्थित न होने और अवैध व्यापार में सम्मिलित लोक सेवक से संबंधित अपराधों के लिए सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है।

आइए, हम इस प्रक्रिया को एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। तो हम श्रीमान 'अ' की कार चोरी की पहचान करने के साथ शुरू करें। उन्हें अब पीड़ित के रूप में इस घटना की रिपोर्ट करनी है। आइए, हम इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का पालन करें—

किसी अपराध की सूचना ई-मेल की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है।

जीरो एफ.आई.आर. पीड़ित को कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से घटना की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। इसे पूर्ण एफ.आई.आर. (बी.एन.एस.एस. की धारा 173) में परिवर्तित करने के लिए तीन दिनों में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए।

तलाशी और जब्ती के दौरान, पुलिस अधिकारियों द्वारा फोन या कैमरे का उपयोग करके फोटो और वीडियो लेकर साक्ष्य रिकॉर्ड करना आवश्यक है। फिर चित्रों को सत्यापन के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब-कुछ कानून के अनुसार किया गया है।

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

- जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है, तो उसके पास उसका नाम और रैंक दिखाने वाला एक पहचान-पत्र होना चाहिए।
- गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को वकील के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।
- जब तक कोई चरम परिस्थिति न हो, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
- गंभीर अपराधों या आदतन अपराधियों के साथ गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और यदि अपराध अनुमति देता है तो उसे जमानत पाने का अधिकार है।
- पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा चुने गए किसी रिश्तेदार या व्यक्ति को गिरफ्तारी और उसे कहाँ रखा जा रहा है, इस बारे में सूचित करना चाहिए।
- गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच एक चिकित्सा प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है, तो महिला चिकित्सा प्रतिनिधि को जाँच करनी चाहिए।
- बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए।

जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

किसी मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी जाँच रिपोर्ट (चार्जशीट) निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक देरी न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए, यह जाँच सूचना दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में की गई जाँच, एकत्रित किए गए साक्ष्य का विवरण सम्मिलित होता है, और इसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय की समयबद्ध सुनिश्चितता

i. श्रीमान 'अ' इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी कार चोरी की घटना की रिपोर्ट करेंगे। वह मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

ii. उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जानी चाहिए। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है और वह भी तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित होना चाहिए।

iii. चोरी से संबंधित सूचना दर्ज करने के बाद, पुलिस श्रीमान 'अ' को एफ.आई.आर. की एक निःशुल्क प्रति प्रदान करेगी।

iv. यदि पुलिस अधिकारी कार चोरी के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करता है, तो पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है।

गतिविधि– आप एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने पड़ोस में होने वाले अपराधों के बारे में अधिक सूचना एकत्रित कर सकते हैं।

बी.एन.एस.एस. को समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए, आइए बी.एन.एस.एस. की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं।

मुख्य विशेषताएँ	स्पष्टीकरण
1 विचाराधीन कैदियों की हिरासत	बी.एन.एस.एस. ने कहा है कि यह प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा— ○ दंडनीय अपराध के कारण आजीवन कारावास। ○ ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
2 मेडिकल जाँच	बी.एन.एस.एस. में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जाँच का अनुरोध कर सकता है।

मुख्य विशेषताएँ	स्पष्टीकरण
3 फोरेंसिक जाँच	बी.एन.एस.एस. कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य बनाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। यदि किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह किसी अन्य राज्य में ऐसी सुविधा का उपयोग करेगा।
4 हस्ताक्षर और अँगुलियों के निशान	बी.एन.एस.एस. ने इसमें अँगुलियों के निशान और आवाज के नमूने भी सम्मिलित कर लिए हैं; यह इन नमूनों को ऐसे व्यक्ति से एकत्रित करने की अनुमति देता है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
5 गवाहों की सुरक्षा	न्याय देने में गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न्यायालय को महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित नुकसान या धमकी से बचाने के लिए, बी.एन.एस.एस. ने 'गवाह संरक्षण योजना' शुरू की है। राज्य सरकारों को ऐसी योजना का मसौदा तैयार करने और उसे अधिसूचित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
6 नामित पुलिस अधिकारी	प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में कम-से-कम सहायक उप-निरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे आरोपों का रिकॉर्ड रखना होगा। यह सूचना प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से, संभवतः डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएगी।

मुख्य विशेषताएँ	स्पष्टीकरण
7 ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की परिभाषाएँ	बी.एन.एस.एस. 2023 में कुछ शब्दों (शब्दावली) को स्पष्ट करने के लिए नई परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं। 'ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन' में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य जैसी रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण संचारित करने और राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग सम्मिलित है। 'इलेक्ट्रॉनिक संचार' का तात्पर्य टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लिखित, मौखिक, सचित्र जानकारी या वीडियो सामग्री के प्रसारण या हस्तांतरण से है।
8 सुनवाई और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी	बी.एन.एस.एस. सभी कानूनी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। इसमें सम्मन और वारंट जारी करना, तामील करना और निष्पादित करना, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जाँच करना, पूछताछ और सुनवाई में साक्ष्य रिकॉर्ड करना और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपील या अन्य कार्यवाही करना सम्मिलित है।
9 सम्मन की इलेक्ट्रॉनिक तामील	बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत, सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि के माध्यम से भेजा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सम्मन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे उनकी प्रामाणिकता और कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
10 पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण	नए कानूनों में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने पर बल देता है। यह पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक हितधारकों के रूप में स्वीकार करता है, उन्हें भागीदारी अधिकार और सूचना का विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। ये सुधार पीड़ितों की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अभूतपूर्व अधिकारों और अवसरों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में केंद्रीय व्यक्ति बनाना है।

गतिविधि— आइए अब कुछ शब्दों पर चर्चा करें—

क्र.सं.	शब्दावली	अर्थ
1.	अपराध	
2.	संज्ञेय	
3.	असंज्ञेय	
4.	वारंट	
5.	जमानती	
6.	गैर-जमानती	
7.	एफ.आई.आर.	
8.	जीरो एफ.आई.आर.	

आप इस तालिका में और भी शब्दावलियाँ जोड़ सकते हैं।

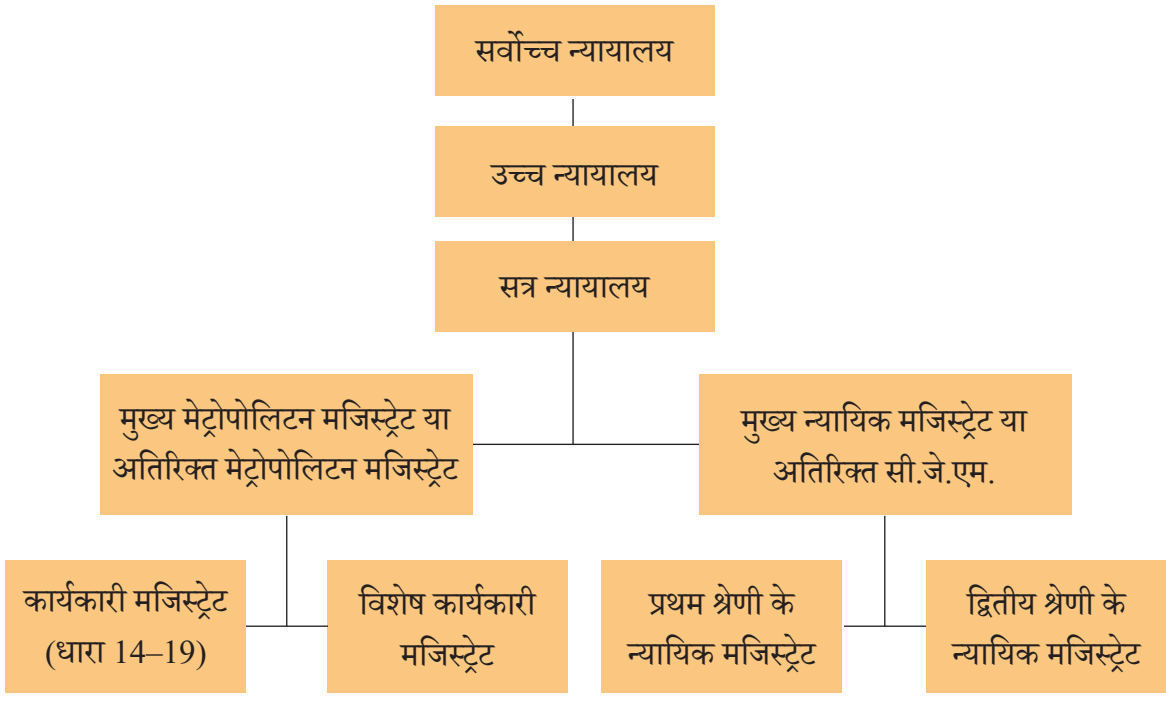

आपराधिक मामलों के न्याय-निर्णयन के लिए न्यायालयों का पदानुक्रम

गतिविधि

- पिछले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को देखें और अपने अनुभवों से निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में न्यायालयों की संरचना के बारे में निम्न से उच्चतम स्तर तक लिखें।
- निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के स्थापना वर्ष और मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखें।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्थापना का वर्ष	मुख्य न्यायाधीश
1.	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय		
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय		
3.	दिल्ली उच्च न्यायालय		
4.	बॉम्बे उच्च न्यायालय		
5.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय		

गतिविधि– बी.एन.एस.एस. पर चार्ट, पोस्टर और कोलाज तैयार करें।

प्रश्नोत्तरी

1. भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब शुरू की गई थी?

(क) 11 अगस्त 2023
(ख) 13 सितंबर 2023
(ग) 20 दिसंबर 2023
(घ) 1 अगस्त 2023

(उत्तर— ग)

2. एफ.आई.आर. का पूरा नाम क्या है?

(क) अंतिम जाँच रिपोर्ट
(ख) प्रथम सूचना रिपोर्ट
(ग) फोरेंसिक जाँच रिकॉर्ड
(घ) प्रथम जाँच रिकॉर्ड

(उत्तर— ख)

3. इस नए आपराधिक कानून का उद्देश्य क्या है?

(क) बेहतर शिक्षा प्रदान करना
(ख) लोगों को सुरक्षित रखना और न्याय सुनिश्चित करना
(ग) बुनियादी ढाँचे का विकास करना
(घ) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

(उत्तर— ख)

4. ई-एफ.आई.आर. का क्या मतलब है?

(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
(ख) इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक जाँच रिकॉर्ड
(ग) संवर्धित प्रथम जाँच रिकॉर्ड
(घ) इलेक्ट्रॉनिक अंतिम जाँच रिपोर्ट

(उत्तर— क)

5. जीरो एफ.आई.आर. का क्या मतलब है?

(क) जीरो (शून्य) आरोपों वाली एफ.आई.आर.
(ख) जीरो अपराधों वाली एफ.आई.आर.
(ग) जीरो सबूत वाली एफ.आई.आर.
(घ) ऐसी एफ.आई.आर., जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है

(उत्तर— घ)

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध क्या है?

(क) ऐसा अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है

(ख) ऐसा अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती

(ग) धमकी देने से संबंधित अपराध

(घ) हिंसा से संबंधित अपराध

(उत्तर— क)

7. बी.एन.एस.एस. में गैर-संज्ञेय अपराध का क्या अर्थ है?

(क) ऐसा अपराध, जिसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है

(ख) ऐसा अपराध, जिसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती

(ग) चोरी से संबंधित अपराध

(घ) हमले से संबंधित अपराध

(उत्तर— क)

8. वारंट क्या होता है?

(क) सरकार का कोई अधिकारी

(ख) सरकार से कोई प्रमाणपत्र

(ग) किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया रिट या आदेश

(घ) अधिवक्ता (वकील) की ओर से अनुरोध

(उत्तर— ग)

9. सी-आर.पी.सी., 1973 की जगह कौन-सा नया कानून लाया गया?

(क) भारतीय न्याय संहिता

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(घ) भारतीय नागरिक संहिता

(उत्तर— ख)

10. वारंट कौन जारी कर सकता है?

(क) अधिवक्ता (वकील)

(ख) पत्रकार

(ग) पुलिस अधिकारी

(घ) कोई भी नागरिक

(उत्तर— ग)

माता-पिता को संदेश

एक जागरूक माता-पिता के रूप में, हमें नए आपराधिक कानूनों के बारे में स्वयं को अद्यतन करने की आवश्यकता है। ये कानून हमारी अपनी बेहतरी के लिए हैं, ताकि हम स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अपने बच्चों और पड़ोसियों को सरल भाषा में कानूनों के बारे में समझाएँ, ताकि वे इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में अधिक जागरूक हों। माता-पिता के रूप में, हमें निवारक उपायों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चों का पालन-पोषण शांति और सद्भाव के वातावरण में हो। अपने बच्चे के व्यवहार पैटर्न और अभिवृत्ति पर दृष्टि रखें।

संदर्भ

भारत का राजपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, 2023 की संख्या 46, नई दिल्ली, 25 दिसंबर, 2023

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING